

विधान सभा सचिवालय,  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2024 (कार्तिक 21, 1946)

क्रमांक 16915 / मप्रविस-16 / विधान / 2024 - राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश,  
दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद् द्वारा इस  
राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल  
में संभवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

मंगुभाई पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश."

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 16916 / मप्रविस-16 / विधान / 2024

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2024 (कार्तिक 21, 1946)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य ;

---

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव, भोपाल;  
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;  
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

---

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

---

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;  
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;  
पुलिस आयुक्त, भोपाल रेंज;  
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

---

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;  
महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;  
भारत के समस्त विधान-मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

---

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001;  
सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और  
सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद् भवन, नई दिल्ली.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.